कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2320/11–सी–FP/UP/Road/153349/2022, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 16 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 वृत्त,
प्रयागराज।

विषयः– जनपद–कौशाम्बी में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी0 सं0–49.155 से किमी0 सं0–74.700 तक (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड पर क्रास कर रहे एन0एच0–731ए, जिला–कौशाम्बी में प्रस्तावित 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण में प्रभावित 15.461 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–2049/15–1, दिनांक 11.01.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
2. पावर ऑफ एर्टोनी/आथारिटी पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव में संलग्न किया गया वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। अतः प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन अपलोड करें।
4. मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्र्ड क्रास सेक्शन (Linear Plan), जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो, संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन संलग्न है, जिस पर प्रभागीय निदेशक की मोहर है किन्तु हस्ताक्षर नहीं है।
6. रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
7. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 में CA स्थल को PF दर्शाया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही स्थिति फीड करें।
8. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2320 /11–सी–FP/UP/Road/153349/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, कौशाम्बी।
2. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–1, उ0प्र0 लो0नि0वि0, प्रयागराज।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

Acy-59